झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

<u>चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा</u>
<u>संख्या-23</u>

<u>पंचम(बजट) सत्र</u>
गुरुवार, <u>दिनांक-18 मार्च, 2016 ई०।</u>

<u>समय-11.00 बजे पूर्वा० से 12.43 बजे अप० तक।</u>
माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि आज बजट सत्र का समापन है, अतएव वे सदन को सुचारू ढंग से चलने देने में आसन का सहयोग करें।

इस दौरान झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अधिकांश माननीय सदस्य स्लोगनयुक्त टोपी एवं पोस्टर के साथ **"स्थानीय नीति/नियोजन नीति लागू करो"** कहते हुए सदन की वेल में आ गये। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन ने आसन से संरक्षण माँगते हुए सरकार से आग्रह किया कि झारखण्ड में वगैर स्थानीय नीति लागू किये हुए जो भी नियुक्तियाँ हो रही है, उन्हें तत्काल रद्द की जाय। आसन द्वारा उन्हें कहा गया कि सरकार को विवश नहीं किया जा सकता है।

उक्त क्रम में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य सर्वश्री अनन्त कुमार ओझा, निर्भय कुमार शाहाबादी, नागेन्द्र महतो, जय प्रकाश सिंह भोगता, राम कुमार पाहन, बिरंची नारायण, केदार हजरा तथा श्री गणेश गंझु एवं अन्य माननीय सदस्य भी विरोध स्वरूप अपने-अपने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गये जिससे भारी शोरगुल होंने लगा।

इसी क्रम में माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव आक्रोशित मुद्रा में कुछ कहते हुए सदन से बाहर चले गये।

अतएव अव्यवस्था को देखते हुए **सदन की कार्यवाही 11.13 बजे पूर्वा० से लेकर 12.00 बजे अप० तक के लिये स्थगित** कर दी गई।

(स्थगनोपरांत).

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चायें:-

i- इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री नारायण दास द्वारा राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे पारा शिक्षकों एवं मनरेगा कर्मियों की माँगों पर विचार किये जाने हेतु आसन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया गया,

ii- माननीय सदस्य, श्री गणेश गंझु ने अपने विधान सभा क्षेत्र में मारूति गाड़ी की चपेट में आकर मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा विरोधस्वरूप सड़क जाम किये जाने एवं उन पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट किया,

iii- सरकार द्वारा गठित भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी दर निधारण समिति के विभिन्न जिलों के दौरा किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने आसन से अनुरोध किया कि अभी माननीय सदस्य सदन में है और उक्त समिति ने वहाँ जनप्रतिनिधियों को उपस्थित होने का पत्र दिया है। हमलोगों ने तदनुसार अपने-अपने प्रतिनिधियों को वहाँ भेजा है जिन्हें अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है,

iv- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आग्रह किया कि उनके क्षेत्र में आदिवासियों एवं पहाड़िया जातियों को जमीन अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा दिया जाय,

v- माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर ने आग्रह किया कि पूर्व में उनके द्वारा अपने विधान सभा क्षेत्र, छत्तरपुर में खाद्यान्न सुरक्षा के अतिरिक्त विश्वविद्यालय सम्बन्धी विषय सदन में उठाये गये थे, अतएव सरकार उसपर वक्तव्य दे,

vi- साहेबगंज जिले में घुसपैठी सम्बन्धी हिन्दुस्तान अखबार में प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यान माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा ने आकृष्ट किया,

इस दौरान पुन: विपक्ष एवं सत्तापक्ष के माननीय सदस्य अपन-अपने हाथों में स्लोगनयुक्त पोस्टर लेकर वेल में आ गये तत्पश्चात् **''जय जय झारखण्ड का नारा''** गूँजने लगा जिससे भारी शोरगुल होने लगा।

2.औपचारिक कार्य:-

झाखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016

माननीया मंत्री, श्रीमती नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से 6 तक, खण्ड-1 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीया मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

3.विधायी कार्य:-

(क) अमिटी विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

माननीया मंत्री, श्रीमती नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से 21, 22, खण्ड- 23 से 42 तक, खण्ड-44 से 46 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीया मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा प्रस्तुत संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(ख) प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

माननीया मंत्री, श्रीमती नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से 21, खण्ड-22, खण्ड- 23 से 40 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीया मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

4.आसन से सूचनाः-

आज दिनांक-18.03.2016 को शुक्रवार होने के कारण नमाज अदा करनेवाले माननीय सदस्यों से आसन द्वारा आग्रह किया गया कि वे उक्त रस्म को अदा करने के निमित्त ससम्मान जा सकते हैं।

5.विधायी कार्य(क्रमांक-3 से जारी):-

(ग) झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016

माननीया मंत्री, श्रीमती नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से 24, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीया मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(घ) आईसेक्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

माननीया मंत्री, श्रीमती नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से 21, खण्ड-22, खण्ड-23 से 42, खण्ड-43, खण्ड-44 से 46, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीया मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

6.निवेदनः-

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचम् (बजट) सत्र में दिनांक-17.03.2016 तक प्राप्त कुल-121 निवेदनों में से स्वीकृत कुल-112 निवेदनों को आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने सम्बन्धी घोषणा आसन से की गयी।

7.गैर-सरकारी संकल्पः-

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचम् (बजट) सत्र में प्राप्त कुल-34 गैर-सरकारी संकल्प की सूचनाओं को समिति में सौंपे जाने की घोषणा आसन से की गयी।

8.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

लम्बित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में सौंपे जाने की घोषणा आसन से की गयी।

9.समापन भाषणः-

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचम् (बजट) सत्र के सफलतापूर्वक अवसान की ओर होने के सुअवसर पर आसन द्वारा उद्गार व्यक्त करते हुए आसन द्वारा माननीय सदस्यों को होली की हार्दिक बधाई दी गयी। 23 बैठकों के उपरांत सम्पन्न होनेवाले इस सत्र में सकारात्मक सहयोग देनेवाले माननीय सदस्यों, विभागीय पदाधिकारियों,

पुलिस-पदाधिकारियों, सभा-सचिवालय के कर्मियों और मीडिया को भी हार्दिक धन्यवाद दिया गया। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

राँची, दिनांक- 18 मार्च, 2016 ई०।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।